

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ: दिनांक: 12-09-2023

:-कार्यालय भाष:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघटित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरंत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 24-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संस्र हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्रओं को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिर गर निर्णय के अनुक्रम में संस्रओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्र को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्र का कोड एवं नाम	4010-MATA DULARI DEVI PHARMACY COLLEGE		
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संस्र 311/16-30999/2022 टी०सी०-1 दिनांक 16 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघटित संस्र संस्रओं की ओर से तिरुड मालवीय महाविद्यालय में धरित तिर पत्रिका संस्र 5027/2023 में मालवीय महाविद्यालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अनुक्रम संस्र 2023 में संस्र संस्र (भूमि, भवन, तैक उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्र उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, संस्र विनियमवली-2016 तथा संस्र-संस्र पर निर्णय संस्रवली को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक संस्रवली से प्रदात किया जाएगा। उपरोक्त के अधिकांश संस्रवली से शुल्क के सम्बन्ध में संस्र-संस्र पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले संस्रवली प्र-वली होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जात आवश्यक होगा। शेष निर्धारण समिति द्वारा पत्र संस्र 2023-24 हेतु शेष का पुनर्निर्धारण किया जात है, जो शेष की नवीनता पर लागू होगी।
- ✓ संस्र में संस्र प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों की ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्र को संस्र-संस्र पर निर्णय संस्रवली के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्णय विधिनिर्णय-अधिनियम-सासन-नियम-वली-वली एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संस्र प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा किये गये निर्णय, विनियम, आदेश, निर्देश का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्र का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जात है तो इस संस्र में संस्र उलासित संस्र का होत और शिथिल रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्र सत्र उपलब्ध होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संस्र प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के तिरुड यदि कोई काद उत्तर किया जात है तथा उत्तर काद के संस्र में ग०, महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संस्र अधीन निर्णय किया जात है तो संस्र प्रतिपूर्ति संस्रित संस्र को करनी होगी।
- ✓ संस्रओं को संस्र प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष के लिये आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिल प्रवेश होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन् प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु संस्र-संस्र पर निर्णय नवीनता आश्वासन निर्णय का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्र को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के फुलटाइम पोर्टल पर संस्र की संस्र शुल्क वैसे संस्र की ऐडमिनिस्ट्रेशन सूत्रि भूमि, शासन, शास-संस्र, उपकरण, प्रदात किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क अदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्र को शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु अनुसूचक छात्रावास उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक संस्र में संस्र आश्वासन वासत सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्र वर सुनिश्चित हो ले कि संस्र में प्रशासित-संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के संस्र उपलब्ध कराने गये अधिनियम, भूमि-भवन, कारीगर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्र द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संस्रान में प्रयोग किया जात है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्र उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिये कर रही है तो संस्र संस्र की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, वीरगढ़ों का सम्बद्धता (संस्र) विनियमवली, 2000 के प्राविधिक शिक्षा परिषद की सत्र पर अपने कार्यवाही, शर्तों और शर्तों को परिषद को परीक्षा के संस्रान के लिये परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्र के शेषक स्थान निरीक्षण के दौरान यदि संस्र में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य शास-संस्र ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के शासनद्वारा उपलब्ध नहीं पात जात है तो संस्र की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शिथि में निरमातुसार अनुसूचक संस्र कार्यवाही की जाएगी।

  
(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

दिनांक: 12-09-2023

पुसं०- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

प्रतिशिप-  
प्रधानकार्यनिदेशक MATA DULARI DEVI PHARMACY COLLEGE

  
(अनील कुमार मिश्र)

सचिव

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817**

**लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022**

**:-कार्यालय ज्ञाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4010-MATA DULARI DEVI PHARMACY COLLEGE			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 08/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्रो लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4010-MATA DULARI DEVI PHARMACY COLLEGE VILL-PHOOLPUR, POST-PHOOLPUR, AZAMGARH-276304

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार